बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

(

का0आ0सं0:– 5522453
ग्रा0वि0–1/स्था0 (विविध)–18/2018

पटना, दिनांकः– 29/04/2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–18794 दिनांक–04.10.2025 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत प्रशाखाओं का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता हैः–

प्रशाखा	पटल	कार्य
प्रशाखा–1 (मुख्यालय स्थापना)	1.	माननीय मंत्री सहित सभी नियमित पदाधिकारियों (प्रशाखा पदाधिकारी एवं ऊपर) की स्थापना, नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण (मुख्यालय)।
	2.	सचिवालय सेवा संवर्ग (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) की स्थापना, विभागीय कार्यों का आवंटन, ID Card, Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS), स्थापना से संबंधित HRMS एवं CFMS
	3.	कार्यालय परिचारी से उच्चवर्गीय लिपिक तक की स्थापना, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (NREP) से संबंधित विविध पत्राचार, सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय।
प्रशाखा–2 (अस्थायी स्थापना/ संविदात्मक/ आउटसोर्सिंग	1.	मुख्यालय में नियोजित संविदा/आउटसोर्सिंग (प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि) की स्थापना, पत्रों का आगत/निर्गत, सभी प्रकार के अस्थायी नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई एवं सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय।
	2.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के संविदा कर्मियों की स्थापना, मुख्यालय में अनुबंध/संविदा नियोजन की स्वीकृति एवं मासिक मानदेय का भुगतान से संबंधित कार्य।
	3.	महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) का स्थापना।
प्रशाखा–3 (प्रखंड स्थापना)	1.	ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग संबंधी नियमावली, मूल कोटि पदाधिकारियों की स्थापना (नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापन, सेवा विनियमन, छुट्टी), संबंधित तामिला।
	2.	ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के प्रोन्नत पदों की स्थापना (स्थानांतरण, पदस्थापन, सेवानिवृत्ति, सेवा विनियमन, छुट्टी), संबंधित तामिला।
	3.	ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति, PAR (Sparrow)
	4.	अनापत्ति, अन्य सेवाओं से संबंधित सेवा विनियमन एवं स्थापना से संबंधित HRMS एवं CFMS
प्रशाखा–4 (प्रखंड निर्माण /संधारण)	1.	प्रखंड भवन/चहारदिवारी/प्रखंड सूचना केन्द्र/प्रखंड आधारभूत संरचना/आवासीय भवन आदि का निर्माण, भवन निर्माण विभाग से समन्वय।
	2.	प्रखंड का सृजन, प्रखंड एवं पंचायत का परिसीमन, प्रखंड मुख्यालय परिवर्तन एवं उससे संबंधी कार्य, प्रखंड हेतु वाहन का क्रय।
	3.	प्रखंड हेतु भू–अर्जन एवं प्रखंडों की साफ–सफाई/संधारण, प्रखंड एवं अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक विस्तृत एवं सावधिक अनियोजित निरीक्षण एवं निरीक्षण का डिजिटल अनुश्रवण।
प्रशाखा–5 (ग्रामीण आवास)	1.	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) नीति निर्धारण, लक्ष्य आवंटन, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन।
	2.	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (MGAY), मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (MGASY), मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना (MVKSY) नीति निर्धारण, लक्ष्य आवंटन, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन।

	3.	आवास कर्मियों की स्थापना एवं अनुबंध रद्द आवास कर्मियों का अपील एवं सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग से संबंधित अनुबंध एवं आउटसोर्सिंग से संबंधित समन्वय।
प्रशाखा–6 (स्वरोजगार)	1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP), स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP), नीति निर्धारण, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन, कृषि प्रक्षेत्र यथा कृषि विभाग/पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग की योजना से संबंधित रोजगार सृजन एवं विभागीय समन्वय।
	2.	मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY), सतत जीविकोपार्जन योजना (SJY), जीविका निधि, गोधन नीति निर्धारण, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन, बाह्य संपोषित योजना यथा–गैर कृषि प्रक्षेत्र की योजना एवं संबंधित रोजगार सृजन, स्वास्थ्य एवं उद्योग विभाग से समन्वय।
	3.	बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (BRTP) नीति निर्धारण, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन, संबंधित विभाग से समन्वय, जीविका भवन, जीविका कर्मियों की अनुबंध रद्द कर्मियों का अपील एवं जीविका के सेवा संबंधित नीतिगत मामले।
प्रशाखा–7 (ग्रामीण रोजगार)	1.	मनरेगा/विकसित भारत–जी राम जी (VB-G-RAM-G) से संबंधित नीति निर्धारण, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन, संबंधित विभाग से समन्वय, पंचायती राज विभाग/जल संसाधन विभाग, कृषि (ग्रामीण विपणन विकास) प्रक्षेत्र से संबंधित योजना एवं विभागीय समन्वय।
	2.	BRDS की स्थापना एवं अनुबंध रद्द मनरेगा कर्मियों का अपील, कोर्ट केस, मनरेगा लोकपाल/अपीलीय प्राधिकार।
	3.	जल–जीवन–हरियाली मिशन, सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी एवं सामाजिक वानिकी, कृषि (जल संरक्षण) सहित विभागीय समन्वय यथा PMK DDY इत्यादि से संबंधित नीतिगत विषय, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन।
प्रशाखा–8 (स्वच्छता)	1.	स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) से संबंधित नीति निर्धारण, राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन, संबंधित विभाग से समन्वय एवं स्वच्छता योजनाओं का अनुरक्षण एवं रख–रखाव/नीति निर्धारण एवं पंचायती राज विभाग से समन्वय।
	2.	लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) से संबंधित नीति निर्धारण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) राशि की स्वीकृति, आवंटन एवं योजना का कार्यान्वयन, शहरी क्षेत्र की स्वच्छता से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग से समन्वय।
	3.	स्वच्छता कर्मियों का नीतिगत विषय एवं अनुबंध रद्द कर्मियों का अपीलीय मामले।
प्रशाखा–9 (विधि)	1.	विभाग से संबंधित न्यायालीय वादों का अनुश्रवण, विधि विभाग से समन्वयन।
	2.	महाधिवक्ता कार्यालय से समन्वयन, पैनलीकृत अधिवक्ताओं का चयन एवं समन्वय।
	3.	लोक अदालत, शपथ पत्र/कारणा पृच्छा,, जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के सभी न्यायालयों में अपील इत्यादि।
प्रशाखा–10 (बजट)	1.	बजट प्राक्कलन, उदव्यय, अनुपूरक, बिहार आकस्मिकता निधि (BCF), पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण, नया शीर्ष, मासिक व्यय प्रतिवेदन AC/DC, UC, योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग से समन्वय।
	2.	बजट भाषण, प्रखण्ड स्थापना एवं सभी अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित आवंटन एवं व्यय।
	3.	SNA Sparsh - IA & Payee Creation, Mother Sanction, Allotment, Expenditure Sanction & Bill इत्यादि।
प्रशाखा–11 (विधानमंडल)	1.	लोकसभा/राज्य सभा से संबंधित मामले।
	2.	विधान सभा/विधानपरिषद से संबंधित मामले।
	3.	सभी विधानमंडलीय समिति (लोक लेखा समिति छोड़कर) संबंधित कार्यान्वयन एवं अनुपालन।

प्रशाखा–12 (लेखा)	1.	सामग्री का क्रय, भंडारण एवं वितरण।
	2.	कार्यालय रख रखाव (House Keeping), माननीय मंत्री का विवेकानुदान, वाहन आवंटन ।
	3.	सभी प्रकार के विपत्र प्रस्तुत एवं पारित कराना, सेवा सत्यापन, रोकड़ पंजी संधारण, मुद्रण।
प्रशाखा–13 (परिवाद/ जन शिकायत)	1.	मुख्यमंत्री E-Compliance Dashboard/बिहार लोक शिकायत निर्धारण अधिनियम।
	2.	Human rights, CPGRAM, मुख्य सचिव शिकायत निवारण पोर्टल, मंत्री कोषांग/माननीय सांसद/विधायक से प्राप्त पत्र/सेवा शिकायत निवारण।
	3.	आम जनता से प्राप्त परिवाद, विभागीय जनता दरबार, लोक शिकायत निवारण से संबंधित कार्य (केन्द्रीय योजनाओं यथा (VB G-RAM-G) स्वच्छता/ आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण आवास) इत्यादि।
प्रशाखा–14 (आरोप एवं निगरानी)	1.	ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के पदाधिकारी पर आरोप Alphabetically (A से N)
	2.	ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के पदाधिकारी पर आरोप Alphabetically (O से Z)
	3.	निगरानी विभाग से प्राप्त सभी परिवाद/निगरानी से संबंधित मामले, अभियोजन स्वीकृति इत्यादि।
प्रशाखा–15 (संस्थान)	1.	विकास प्रबंधन संस्थान (DMI), ई–ऑफिस, बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण (BISPS) एवं संबंधित मामले एवं RUSETTI एवं अन्य राज्य के संस्थाओं से समन्वय। ई–शक्ति, ई–गवर्नेंस, सूचना प्रावैधिकी एवं सूचना प्रावैधिकी कोषांग।
	2.	ई–शक्ति, ई–गवर्नेंस, सूचना प्रावैधिकी एवं सूचना प्रावैधिकी कोषांग।
	3.	BIPARD, बी.पी.आर – विभागीय कार्यालय व्यवस्था की पुर्नसंरचना।
प्रशाखा–16 (सूचना एवं प्रसार)	1.	सूचना का अधिकार एवं संबंधित अपीलीय प्राधिकार, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग से समन्वय।
	2.	Social Media/सभी प्रकार के Media से संबंधित कार्य, विभागीय कार्यों का प्रचार–प्रसार।
	3.	लोक सेवा का अधिकार (RTPS)/ महिला आंतरिक परिवाद संबंधी मामला।
प्रशाखा–17 (आधार एवं नागरिक सेवा)	1.	UIDAI द्वारा जारी परिपत्र/दिशा–निर्देश पर कार्रवाई, स्थायी नामांकन केन्द्र (Permanent Enrollment Centres) के संचालन हेतु एजेंसी का चयन/अवधि विस्तार एवं भुगतान।
	2.	स्थायी नामांकन केन्द्र (Permanent Enrollment Centres) के संचालन संबंधी कार्य/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से समन्वय।
	3.	सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), राज्य संसाधन केन्द्र (SRC), जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLMC), जनगणना, कृषि गणना ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रकार की गणना का अन्य विभागीय समन्वय।
प्रशाखा–18 (समन्वय, बैठक एवं अनुश्रवण)	1.	अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक, जो किसी प्रशाखा से संबंधित नहीं हो अथवा एक से अधिक प्रशाखा से संबंधित हो, विभागीय मासिक/साप्ताहिक बैठक, सभी प्रकार के प्रतिवेदनों का संकलन/अनुश्रवण प्रावैधिकी विकास (IT ENABLED MONITORING DEVELOPMENT)
	2.	विभागीय एवं अंतर्विभागीय समन्वय, आपदा प्रबंधन, PRC, SEGC बिहार विकास मिशन से संबंधित कार्य, परियोजना प्रबंधन ईकाई (PMU-RDD)।
	3.	अन्तरराज्यीय परिषद, विभाग में प्राप्त वैसे पत्र, जिनका संबंध किसी प्रशाखा से नही हो, उप विकास आयुक्त बैठक, नीति आयोग, योजना विकास विभाग (लोक वित्त एवं वार्षिक योजना छोड़कर) से समन्वय।
प्रशाखा–19 (अंकेक्षण)	1	अंकेक्षक की नियुक्ति, अंकेक्षण (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अंकेक्षण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।
	2.	महालेखाकार एवं सी0ए0जी (CAG) अंकेक्षण आपत्ति, अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/लोक लेखा समिति से संबंधित सभी मामले।
	3.	वित्त (अंकेक्षण) विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन आपत्ति एवं निरीक्षण टिप्पणी।
प्रशाखा–20 (उद्यमित्ता/	1.	NRLM /MMRY एवं राज्य योजना अंतर्गत कौशल विकास।
	2.	DDU-GKY, RSETI अन्य केन्द्रीय/कौशल विकास।

कौशल विकास)	3.	बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत कौशल विकास/उद्योग विभाग से संबंधित उद्यमिता विकास/कृषि प्रक्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण विषयक समन्वय (यथा–BAMETI/ATMA/KVK/ कृषि विश्वाविद्यालय/पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इत्याादि) श्रम संसाधन तथा युवा एवं कौशल विकास विभाग से समन्वय।
प्रशाखा–21 (अन्य योजनाएँ)	1.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM), सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY), ROW (मोबाईल टावर से संबंधित)।
	2.	ग्रामीण विकास अभियंत्रण कोषांग, SQM, DISHA एवं अन्य सभी विषय जो उपरोक्त प्रक्षेत्र से आच्छादित नहीं है।

2. विभाग के वैसे कार्य/योजना जो पूर्व में संचालित थे एवं वर्त्तमान में उनका स्वरूप परिवर्त्तन होने के पश्चात किसी अन्य कार्य/योजना के नाम से संचालित है, वैसे सभी कार्य/योजना से संबंधित कार्य उन्हीं प्रशाखाओं द्वारा किया जायेगा जिसमें स्वरूप परिवर्त्तन के पश्चात वे कार्य/योजना आवंटित है। साथ ही योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, विधानमंडलीय प्रश्न, सूचना का अधिकार, कोर्ट केस आदि का निपटारा संबंधित प्रशाखा द्वारा नोडल प्रशाखा के माध्यम से किया जायेगा।

3. पूर्व के निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

28.4.26
(मन्जु प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 5522453 पटना, दिनांकः– 29/04/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.4.26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 5522453 पटना, दिनांकः– 29/04/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

28.4.26
सरकार के अपर सचिव